"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 266]   रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 20 जुलाई 2018 —— आषाढ़ 29, शक 1940

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 22 जून 2018

आदेश

क्रमांक 6254/1667/21-ब/छ. ग./18. — राज्य शासन, एतद्द्वारा माननीय श्री टी. पी. शर्मा (से. नि. न्यायाधीश, छ. ग. उच्च न्यायालय) को "एकल सदस्यीय छत्तीसगढ़ राज्य विधि आयोग" के अध्यक्ष पद पर दिनांक 04-07-2018 से पुन: 03 वर्ष के लिए नियुक्त करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनीष कुमार ठाकुर, अतिरिक्त सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2018.